



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179628

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30078 वर्ष 2026

आदर्श गुप्ता उर्फ पंकज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गौरव द्विवेदी, कमलेश कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 51 सन् 2026, धारा 103(1) बी.एन.एस. एवं धारा 27/30 आयुध अधिनियम, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है। आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11729 सन् 2026 था, दिनांक 08.04.2026 को निरस्त कर दिया गया था।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया था कि चश्मदीद गवाह वसीम (डी.जे. मालिक) तथा हर गोविंद ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया था और कहा था कि डी.जे. प्लेयर द्वारा उसका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पसंदीदा गाना न बजाए जाने से नाराज होकर आवेदक ने गोली चलाई, जो मृतक को लगी। आगे प्रस्तुत किया गया कि विचारण के दौरान मृतक के पिता का परीक्षण पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में, वसीम (डी.जे. मालिक) का परीक्षण पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में तथा हर गोविंद का परीक्षण पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में किया गया और इन तीनों अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अतः वर्तमान में मृतक पर गोली चलाने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

4. आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और विचारण चल रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है; अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और दिनांक 16.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि चश्मदीद गवाह तथा प्रथम सूचनादाता (मृतक के पिता) ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और आवेदक दिनांक 16.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन, 2025 एस सी सी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिपादित निर्णय के आदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस सी सी ऑनलाइन सभी 6765** में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक-आदर्श गुप्ता उर्फ पंकज, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारीपूर्वक विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएं।

10. आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाए, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, इस शपथपत्र/वचनबद्धता के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति, मामला: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 , दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस सी सी 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम. झारखंड राज्य और दूसरा, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, में पारित आदेशों के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर जेल अधीक्षक, गोरखपुर के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

14. कोई भी आवेदन, यदि हो, निस्तारित माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

25 अगस्त, 2026

एसए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।